

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती प्रेमदेवी

विपक्षी : श्री सुरेश

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम

पत्रावली संख्या : 143/18

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सुनारण जारी की गई
	<p>दिनांक : 22.12.2021</p> <p>पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान-2021 कैम्प पलानाकलां में पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में दिनांक 05.02.2019 से मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु स्थगन जारी हैं। विपक्षी सं. 1 को पर्याप्त अवसर दिया जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया। प्रार्थीगण द्वारा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रकरण में पूर्व में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है, जिसे मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाना उचित हैं ताकि प्रकरण में निस्तारण से पूर्व किसी प्रकार से मौका एवं रेकार्ड के परिवर्तन से बचा जा सके। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।</p> <p style="text-align: center;">—: आदेश :-</p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार कर किया जाता है कि मौजा पलानाकलां पटवार हल्का पलानाकलां की आराजी नम्बर 300, 304, 305, 316, 317, 318, 321, 322, 323, 327, 328, 329, 340, 1513, 1514, 1793, 2661, 2663, 2664, 2665, 2885, 3065, 3072, 3105, 3272, 3337/3072 किता 26 रकबा 74 बीघा 16 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 1793 रकबा 1 बीघा भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(मयंक मनीष I.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

